HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 12194/2026
CNR: RJHC020626802026 | URN: CW / 26913U / 2026

Aman Pvt. Iti, (Old Address - Near Masjid, Panch Bati, Tonk) (New Address - Ratan Complex, Badwani Haveli, Near Panch Bati, Subhash Bazar, Tonk) Through Society Institute Of Social And Economy And Transformation Regulatory, Kota Through Secretary Dr. Ms. Vinod Gupta W/o. Sh. S.n. Shah, Aged 55 Years, R/o. Sayadoo Ka Ghair, Kafila Bazar, Tonk.

----Petitioner

Versus

1. Director, Technical Education, Rajasthan, W-6, Residency Road, Jodhpur-3420011.
2. State Of Rajasthan, Through Principal Secretary, Technical Education, State Of Rajasthan, Jaipur
3. Director (Affiliation) Prashikshan Mahanideshalaya, Skill Development And Entrepreneurship Ministry, Room No. 105, Ist Floor, Cirtus Building, Iari Campus, Poosa, New Delhi-110012

----Respondents

For Petitioner(s) : Ms. Aradhana Swami
For Respondent(s) :

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

24/07/2026

याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता याची का तर्क है कि याची–संस्थान वर्ष 2014 से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (NCVT) से सम्बद्ध है। अयाचीगण ने एक से अधिक बार संयुक्त निरीक्षण (Joint Inspection) करके संस्था के संबंध में कमियां दर्शित की, उनमें से कई कमियों को याची द्वारा पूरा किया जा चुका है। दिनांक 25.05.2026 को स्थाई समिति की 30वीं बैठक के कार्यवृत्त (minutes) दिनांकित 22.06.2026 में यह निर्णय लिया गया कि संस्था की सम्बद्धता (affiliation) समाप्त कर दी जावे। उनका

तर्क है कि अनुशासन नियमावली निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थान अनुशासन नियम 2008 के नियम 08 के अंतर्गत ऐसा निर्णय लेने से पूर्व संस्थान को संचालित करने वाली समिति के अध्यक्ष अथवा उनकी ओर से नामित प्रतिनिधि, जो कि कार्यकारिणी का सदरू हो या संस्था प्रधान को व्यक्तिगत सुनवाई का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, परन्तु उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया गया। अतः अयाचीगण को नोटिस जारी किए जाने का निवेदन किया।

विचार किया गया।

अयाचीगण को **चार सप्ताह में वापसी योग्य** नोटिस जारी किए जावें।

याची अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि अयाचीगण की तामील हेतु नोटिस मय आदेशिका शुल्क प्रस्तुत करें, जो प्रस्तुत होने पर जारी किये जावें।

अन्तरिम स्थगन के सम्बन्ध में याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की।

सुना गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह अन्तरिम आदेश दिया जाता है कि अयाचीगण की ओर से दिनांक 22.06.2026 के पत्र द्वारा दिनांक 25.05.2026 की 30वीं बैठक में याची/संस्थान के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय की क्रियान्विति आगामी तिथि तक स्थगित रहेगी।

(SHUBHA MEHTA),J

32/VISHAL SHARMA